प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 130 / **2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Jaywant Bherviya Add: 29, Mahaveer nagar, New Bhupalpura, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 04-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329449703923641 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सीसारमा के विभिन्न आराजीयात पर वन विभाग के क्षेत्र में निर्माण करने, इको सिस्टम में होटल बनाने हेतु जारी स्वीकृतियों एवं वन्य क्षेत्र में निर्माण करने व पहाडों को काटने हेतु मानकों व नियमों की सत्यापित सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4104120323 दिनांक 04.10.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 130 / 24 / 1107–08 दिनांक 07.10.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41 / 2 / सू.अ.2005 / प्र.अ.स. 130 / 2024 / 1063 दिनांक 17.10.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को जीवन / स्वतंत्रता की तात्कालीकता में दर्ज किया गया है, जबकि प्रार्थना पत्र में ऐसी किसी स्थिति को होना नहीं पाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का संबंध सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से इस कार्यालय के पत्रांक 906–07 दिनांक 18.09.2024 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय में अंतरित कर दिया गया, जिससे की प्रार्थी को भी पूर्व में सूचित कर दिया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.09.2024 (रविवार) को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 16.09.2024 को बारावफात अवकाश एवं दिनांक 17.09.2024 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा घोषित अवकाश होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

दिनांक 18.09.2024 को सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को अंतरित किया गया था। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने में इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निरतारित करने की कृपा करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 1063 दिनांक 17.10.2024 अनुसार प्रार्थी द्वारा जीवन/स्वतत्रंता की तात्कालिकता में प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 15.09.2024 को ऑनलाईन आवेदन किया गया। दिनांक 15.09.2024 से 17.09.2024 तक राजकीय अवकाश होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांकित 15.09.2024 का संबंध सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से दिनांक 18.09.2024 को प्रत्यर्थी द्वारा नियमानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को अंतरित किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी से नहीं होकर सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से होने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत नियमानुसार निश्चित समयावधि में अंतरित कर दिया था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए की वह सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर के कार्यालय से सम्पर्क वांछित सूचना प्राप्त करे। सूचना नहीं मिलने की स्थिति में सक्षम अपील अधिकारी (अध्यक्ष, उदयपुर विकास प्राधिकरण) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर